



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : 178/एम0पी0/2017

दिनांक : 12-5-2017

मानचित्र संख्या : 366/जोन-5/2012-13

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मैसर्स सामग कंसल्टेशन लि०
अधिकृत हस्ताक्षरी श्री दिनेश पाण्डेय,
बी-67 सरिता विहार, नई दिल्ली।

महोदय,

आप द्वारा ग्राम-शाहपुर बम्हटा में विकसित की जा रही इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या- 2 पर प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग हेतु मानचित्र प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19.12.16 को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। भूमि सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. बिजली की लाइन से निर्धारित सीमा के अन्दर एवं भवन उपविधि के नियमों के अनुसार निर्माण कार्य किया जायेगा।
5. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
6. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
7. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
8. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
9. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
10. प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 06.06.2016 का पालन करना होगा।
11. भू-स्वामित्व सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र पर दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
12. प्रस्तावित भवन में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रु. 2,00,000/- की जमानत राशि हेतु एसिक्स बैंक की एफ0डी0आर0 खाता संख्या-917040025545688 दि० 10.03.17 प्रस्तुत की गयी है, जो कि भवन सम्पूति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
13. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति 21.05.2005 एवं शासनादेश दि० 28.11.2006 के अनुसार योजनान्तर्गत समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मै. सामग कंसल्टेशन लि. का

For Sale Saman

[Signature]

Authorized Signatory

स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानको एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वयं कराने होंगे। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अधिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा-बन्धा निर्माण, रिंग रोड, प्लाई ओवर, भेदों आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी के अनुसार योजनान्तर्गत आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्यों की पूर्णता हेतु रूपये 4.75 करोड़ की बैंक गारण्टी विकासकर्ता द्वारा पूर्व में डवलपमेंट एग्रीमेंट के समय प्राधिकरण में जमा की गयी है। जिसकी वैधता अवधि क्रमशः दिनांक 13.01.2018 तक है, जो आवश्यकता अनुसार बढ़वानी होगी।

14. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य वाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।
 15. भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी समस्त दायित्व विकासकर्ता का होगा किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। किसी भी न्यायालय में विचाराधीन वाद से प्रभावित खसरा नम्बरों की भूमि यथावत रखी जायेगी जिस पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
 16. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटि को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फाथर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, वाह्य विकास/ आन्तरिक विकास का पूर्णता प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
 17. प्रशंगत भूमि के अन्दर यदि कोई नाली/नाला, चकरोड, ग्राम समाज/ सरकारी भूमि पायी जाती है तो उसको यथावत रखा जायेगा अथवा उसके क्षेत्रफल के बराबर अपने स्वामित्व वाली भूमि में एक तरफ एकजोई करके छोड़नी होगी जिसकी अनापत्ति नगर आयुक्त नगर निगम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा अन्तिम रूप से समायोजित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर विकास प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
 18. मानचित्र में प्रदर्शित विकासकर्ता के स्वामित्वाधीन भूमि में से यदि किसी भूमि का दाखिल खारिज बकाया है तो उसे विकासकर्ता कंपनी के नाम दाखिल खारिज कराकर प्रस्तुत करना होगा।
 19. भवन की डिजाइन व ड्राईंग तथा स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्परोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र श्री सी0पी0 कुकरेजा एसोसिएट्स (स्ट्रक्चरल इंजीनियर) का प्रस्तुत किया गया है। स्ट्रक्चरल डिजाइन व ड्राईंग को आई.आई.टी. दिल्ली के प्रोफेसर डा0 टी0के0 दत्ता द्वारा वेट की गयी है। तदनुसार स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में करना होगा। डी.पी.आर./ योजना के पुनरीक्षित तलपट मानचित्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001(आ.ब) दिनांक 03.02.01, 72/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शा.सं. 3751/9-आ-1-1- भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दि.20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-
- क- भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त

For Sale
Authorised Signature

व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

- ख- भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन गिट, ईटें, कोर्स सैंड एवं मोर्टार तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/ संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
- ग- निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी परीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। ब्रोकर/आर्किटेक्टों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का परीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- घ- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- ड- कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे:-
 - 1- नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
 - 2- अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियों।
 - 3- अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल्स।
 - 4- अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राईंग जिनमें सैक्शन एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल्स इत्यादि शामिल रहेंगे।
 - 5- भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।
 - 6- साईट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
 - 7- सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर
20. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/ प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
21. प्रश्नगत स्थल के अन्तर्गत यदि किसी आवंटी की स्थिति परिवर्तन होती है तो उसके समायोजन के सम्बन्ध में प्राधिकरण के उत्तरदायी नहीं होने एवं बिल्डर के स्वयं ही जिम्मेदार होने सम्बन्धी शपथ पत्र दिनांक 31.03.17 का पालन करना होगा।
22. विकासकर्ता को समस्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों हेतु योजना के ले-आउट में कुल स्वीकृत यूनिटों के अन्तर्गत ही प्रस्तावना दिये जाने के सम्बन्ध में उसके द्वारा दी गई अण्डटेकिंग दिनांक 06.05.13 का अनुपालन करना होगा। यदि भविष्य में विकासकर्ता द्वारा ले-आउट में स्वीकृत यूनिट से अधिक की प्रस्तावना दी जाती है तो उस हेतु समानुपातिक रूप से सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।
23. भवन उपविधि-2008 के प्रस्तर 2.4.1 की क्रम संख्या 7 के अनुसार क्लींडा क्रियाओं हेतु वांछित स्थलों का प्राविधान ओपन स्पेस /ले-आउट ग्रीन में करना होगा।

For Sare Samrag Realty Pvt. Ltd.



Authorised Signatory

24. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग / निर्माण शमनीय नहीं होगा।
25. अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स-2011 का अनुपालन करना होगा।
26. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र पत्रांक- आर-115/जे.डी./फा.स../लखनऊ-13/(गा0बाद)/135/213 दिनांक 31.03.2017 एवं संलग्न मानचित्र में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
27. आर.डब्ल्यू.ए. व बिल्डर्स के मध्य आपसी वाद विवाद की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी जिसका प्राधिकरण का कोई उत्तरदायी नहीं होगा।
28. समस्त अवस्थापना सुविधाओं के अधिकल्पन व विकास का दायित्व विकासकर्ता का स्वयं का होगा। अवस्थापना सुविधाओं का विकास/ निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. यू.पी.पी.सी.एल, भवन उपविधि-2008, एन. बी.सी. एवं शासनादेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्थल पर कराया जायेगा। विकास/निर्माण कार्यों एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी विकासकर्ता की स्वयं की होगी।
29. संदर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं प्रदर्शित ग्रीन यथावत रखना होगा एवं उसका रख-रखाव भी करना होगा।
30. निर्माण अवधि में स्थल पर कार्यरत श्रमिकों हेतु शौचालय आदि जनसुविधाओं का पर्यावरण के अनुकूल प्राविधान करना होगा।
31. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा।
32. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिड़काव किया जाये एवं डस्ट सस्पेंशन यूनित का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।
33. बेसमेन्ट एवं भवन निर्माण के समय सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा, निर्माण के कारण स्थल पर किसी भी प्रकार की क्षति एवं दुर्घटना के लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
34. आंशिक विद्युत लोड की पूर्ति हेतु सौर ऊर्जा प्लान्ट/संयंत्र की स्थापना करनी होगी।
35. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
36. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निम्न दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन करना होगा:-
 - i. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
 - ii. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
 - iii. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
 - iv. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
 - v. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
 - vi. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.

For Sare Samag Realty Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

- vii. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.
- viii. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
- ix. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
- x. Wind breaking walls around constructin site.
- xi. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.
- xii. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
- xiii. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
- xiv. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
- xv. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
- xvi. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
- xvii. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.
- xviii. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
- xix. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
- xx. Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
- xxi. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).
- xxii. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक: /एम0पी0/2017

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन-5 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक

For Sale Seemag Realty Pvt. Ltd.



Authorised Signatory

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक:आर-115/जे०डी०/फा०स०/लखनऊ-13(गाजि०)/135/213

दिनांक: मार्च 31 2017.

सेवा में,

नगर नियोजक,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद।

विषय:

मैसर्स सामग कन्स्ट्रक्शन लि० द्वारा प्लॉट नं०-02, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना ग्राम शाहपुर बम्हैटा जनपद गाजियाबाद उ०प्र०पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के (टावर नं०-01,02,03 एवं 04) कुल-04 टावरों के निर्माण हेतु शमन मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल कम्पाउडिंग अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2017/28434/जीजैडबी/गाजियाबाद/1947/जे०डी०।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक के प्रार्थना पत्र अपने पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु शमन मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोविजनल कम्पाउडिंग अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन गाजियाबाद से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद श्री आर०के० यादव द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या पत्रांक:आर-11/एफएसके-2017 दिनांक: 23-03-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा नटित कमेटी द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 28-03-2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को उपलब्ध तथा उनके द्वारा परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 30-03-2017 इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई तथा समस्त आख्याओं एवं मानचित्रों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:-

प्रश्नगत भवन को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:- प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक:15-08-2013 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

भवन की संरचना:-

1-कुल प्लॉट एरिया-22,085.00 वर्ग मी०।

2-प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-7726.343 वर्ग मी०।

3-प्रस्तावित बेसमेंट कवर्ड एरिया-16,642.33 वर्ग मी० प्रत्येक है। जिसमें प्रस्तावित 04 अदद टावरों का फ्लोरवाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम टावर	ब्लॉक की संख्या	तलों का विवरण पूर्व वर्तमान	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	स्टेयर की संख्या एवं चौड़ाई मी०।	ऊँचाई मी०। पूर्व वर्तमान
1	टावर-01	02	बेस०+रिटर्न+13 तल बेस०+रिटर्न+14 तल	1348.632	02 अदद 01.50/01.50	41.30 44.25
2	टावर-02	02	बेस०+रिटर्न+13 तल बेस०+रिटर्न+14 तल	1348.632	02 अदद 01.50/01.50	41.30 44.25
3	टावर-03	01	बेस०+रिटर्न+13 तल बेस०+रिटर्न+14 तल	674.316	02 अदद 01.50/01.50	41.30 44.25
4	टावर-04	01	बेस०+रिटर्न+13 तल बेस०+रिटर्न+14 तल	674.316	02 अदद 01.50/01.50	41.30 44.25

भवन का अधिभाग एवं हैजार्ड-प्रश्नगत भवन का अधिभाग आवासीय अपार्टमेंट, (एन०डी०सी०-2005 की ए-4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-प्रश्नगत भवन के सामने 24.00 मीटर चौड़ा रोड प्रदर्शित है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06.00 मीटर प्रदर्शित है।

3-सैटबैक:- प्रस्तावित भवन के सैटबैक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-13.00 मीटर।

बी-पृष्ठभाग-13.00 मीटर।

सी-पार्श्व प्रथम-13.00 मीटर।

डी-पार्श्व द्वितीय-13.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैट बैक भवन विनियामकी 2008 तथा संशोधित-2011 के अनुसार है। भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहनो की आवश्यकताओं हेतु 06.00 मीटर चौड़ाई का हार्ड सरफेस युक्त मोटरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। जिसे सदैव अवरोध मुक्त औपन टूट्टाई रखा जायेगा। इसमें किसी प्रकार का रथायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:-प्रश्नगत भवन में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर स्टेयर की चौड़ाई मानचित्र में प्रदर्शित चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक टावर की फायर स्टेयर पर 01 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डोर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(अरविन्द शुक्ला)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ०प्र० लखनऊ

For Sale Soamag Realty Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

- 5-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।
- घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवनों में एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना प्राविधानित है।
- 1-होजरील/डाउनकमर:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक के प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
- 2-भूमिगत टैंक:-प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्यों हेतु 2,00,000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
- 3-पम्पस:- प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद में विद्युत चालित फायर पम्प, (रिप्रेकलर एवं हाईड्रेण्टस) इतनी ही क्षमता 01 अदद डीजल पम्प, एवं 01 अदद जीकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है। जिनका हंड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।
- 4-टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
- 5-वेटराईजर:- प्रस्तावित भवन में वेटराईजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
- 6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन में रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
- 7-ऑटोमेटिक रिप्रेकलर सिस्टम:- प्रस्तावित भवन के बेसमेंट में ऑटोमेटिक रिप्रेकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
- 8-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
- 9-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधानित है।
- 10-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम/मैकेनिकल वेन्टीलेशन एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
- 11-एग्जिट साईनेज:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
- 12-पी0ए0 सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
- 13-कम्पार्टमेंटेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में कम्पार्टमेंटेशन एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
- 14-प्रेशराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एन0बी0सी0 के भाग-4 के विन्दु संख्या-4.10.7 के निर्देशानुसार किया जायेगा।
- 15-प्रश्नगत भवन में इमरजेंसी/स्केप लाइटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 16-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
- 17-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र मेरठ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद की संसृति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स सामग कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा प्लॉट नं0-02, इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना ग्राम शाहपुर बगैटा जनपद गाजियाबाद पर प्रस्तावित गुप्त हाउसिंग भवन के (टावर नं0-01,02,03 एवं 04) कुल-04 टावरों हेतु शमन मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल कम्पाउंडिंग अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस

संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली जनपद गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

4-मैसर्स सामग कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा प्लॉट नं0-02, इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना ग्राम शाहपुर बगैटा जनपद गाजियाबाद को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।

For Sare Saamag Realty Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

SVH

410

कार्यालय महाप्रबन्धक(जल), नगर निगम, गाजियाबाद

पत्रांक: ४३३ /जलकल/2016-17

दिनांक- 19.10.17

विषय:- सामग कन्सट्रक्शन लि0 द्वारा हाऊसिंग कालोनी में भू-जल निकालने के लिये बोरिंग लगाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

मैसर्स सामग कन्सट्रक्शन लि0
बी-72, सै0-57, नौएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर।

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 17.01.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक-496/जलापूर्ति-व्यवस्था/2011 दिनांक 07.09.2011 के द्वारा आपको पत्र जारी किया गया है।

प्रस्तावित हाऊसिंग कालोनी योजना ग्राम शाहपुर-बगैदा के नये एवं अविकसित क्षेत्र के अन्तर्गत है तथा यह नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हुई। इस क्षेत्र में जलकल विभाग, नगर निगम, गाजियाबाद की जलापूर्ति वर्तमान में नहीं है। आप स्वयं के व्यय से बोरिंग आदि की विधिवत व्यवस्था करा सकते हैं।

महाप्रबन्धक(जल)

नगर निगम गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक तदैक:-

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त महोदय की सेवा में राखर सूचनार्थ प्रेषित।

2- क्षेत्रीय निदेशक, सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, भुजल भवन, सी0बी0सी0तापुर रोड योजना, लखनऊ की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबन्धक(जल)

For Sale Saamag Realty Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



Dr. T. K. Datta FNAE
Emeritus Professor

Indian Institute of Technology Delhi
Department of Civil Engineering

Hauz Khas, New Delhi-110016 (Ind)
Phone : +91 11 2659 1184 (O), +91 11 2685 5960 (H)
Mobile : +91 11 98185 82445, Fax : +91 11 2658 11
Email : tushar_k_datta@yahoo.com, tkdatta@civil.iitd.ac

Date 20.3.14

Sub: - Proof checking of structural design and drawing for Proposed Group Housing project -
Springview Heights at Saga Crescent Parc, at village Shahpur Bamheta, Ghaziabad, U.P.

Dear Sir,

It is certified herewith that the structure design and drawing for the proposed group housing Project Springview Heights at Saga Crescent Parc at Village Shahpur Bamheta, Ghaziabad, U.P. have been checked and found to be confirming to the recommendation of the relevant codes of practice as per the latest Indian Standard. All the stipulated combination of gravity load and the relevant lateral load (Wind/Earthquake) have been considered and duly incorporated in the design. Structure drawing has been checked both for design as well as detailing.

Thanking You

Approved

Dr. T. K. Datta
Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology, Delhi
Hauz Khas, New Delhi-110016

Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology, Delhi
Hauz Khas, New Delhi-110016

For Sare Samay Realty Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

‘पिकप भवन’ तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

412

संदर्भ संख्या F5667-9 /सी-१/एसओसी/जी- ६१७/२००९ दिनांक 10-11-2009

सेवा में

श्री. मैसर्स. आर्या प्रोपर्टीज लिमिटेड,
इस श्री रेजीडेंसियल, विदेशक,
ए-६९, सेक्टर-६९,
कोयला-२०१३०९

विषय पर्यावरणीय प्रदूषण को दूर करने / या इसके को रोकना हेतु / कारगर इकाई को उत्पादन सामग्री में
विशेष / संयंत्रों को जारी की गयी है। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

संदर्भ

कृपया उपरोक्त विवरण अपने संवेदन पर दिनांक १०/११/२००९ को संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि संयंत्र को पर्यावरणीय प्रदूषण को दूर करने से निम्नलिखित विधिगत तरीके पूर्व सामान्य शर्तों (संलग्नक) के संश्लेषित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट निबन्धों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल स्थित मंडलसिन्धु, आम शहरपुर, बगहेल, प्रमोथ-२४
गोमतीनगर में ७२.२ हेक्टर क्षेत्र।

(ख) उत्पादन : २०३ मित्त, २४० क्लोराइड, २४० ई० डब्ल्यू एस, २०८७ फास्ट की
आवासीय कॉलोनी, स्कूल, शनिंग कम्प्लेक्स, बल्लभ

For S. S. S. Realty Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

(ग) मुख्य कचरा भाग :

खाली नहीं

(घ) औद्योगिक उत्पादों की मात्रा :

शून्य

(ङ) प्रयुक्त स्थान : सी०जी०रोड डेपू जीजल आवश्यकतानुसार

उपरोक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनामति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, मशीन, इलेक्ट्रिकल, उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चितीकरण समेत तथा बांधू प्रयुक्त विषयों (व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट) इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर भेजित करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन जब तक प्रारम्भ नहीं करे जब तक कि यह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अनुरूप सहायता प्राप्त न करे। जब एक वायु सहायता प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की दिशि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहायता आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्ण प्रथम आवेदन का संस्करण करते हुए इस कार्यालय में अवरुद्ध हो जाया कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो सब अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध दिनांक किसी पूर्ण सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

For Sano Samudra (Pvt.) Ltd.

Authorised Signatory

5. घरेलू उत्प्रेषण, जिसकी मात्रा से अधिक नहीं होगी। संश्लेषक टैंक एवं सोलर पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।
6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।
7. मैसर्स सोमाग कन्सल्टेशन लि., सोमा सिटी टाउनशिप, ग्राम शहपुर, बमहेटा, एन० एच० २४, गाजियाबाद द्वारा प्रस्तावित दक्षत आवासीय योजना में २०३ विल, २४० एल०आई०जी०, २४० ई०डब्ल्यू०एस०२०८७ फलैट की आवासीय कालोनी स्कूल श्रमिक चरणसेवास, क्लब, का निर्माण किया जाये।
8. मै० सोमाग कन्सल्टेशन लि०, सोमा सिटी टाउनशिप, ग्राम शहपुर, बमहेटा, एन० एच० २४, गाजियाबाद द्वारा प्रस्ताव के अनुसार एल०आई०जी० का निर्माण कर यथा संगत रिसर्कुलेट किया जाये।
9. उद्योग/संस्था शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी० जी० सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
10. मॉलिट वेस्ट मैनेजमेंट प्रस्तावानुसार किया जाये।
11. संपत्ति प्रस्तावित डी०जी० सेट पर व्यक्ति सेक्टर व्यवस्थाओं के साथ-साथ बोर्ड मानकों के अनुसार पार्किंग जॉयर्स की विषयी भी स्थापित की जाये।
12. प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।
13. उद्योग/संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित परित्यक्त के रूप में विधायित करें।
14. उद्योग/संस्था को यह एम०ओ०सी० बल अधिनियम, १९८४ एवं आयु अधिनियम १९८९ के प्रावधानों के अन्तर्गत विधायित किया जा रहा है।
15. बैंक गारंटी की शर्तों का अनुपालन न करने की दृष्टि में प्रेषित बैंक गारंटी बोर्ड के पक्ष में अक्षम्यता काय ली जावेगी एवं आर्थिकताओं के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।
16. अनावृत्ति प्रमाण पत्र की वैधता तिथि ५ वर्ष का वैध, गारंटी की-वैधता तिथि से एक वर्ष पूर्व तक से कम हो मान्य होगी।

For Somaag Roohy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

415

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ३०/६/२०१० तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

समस्तु ११/७/१०

पूराकरण रॉ.

/ एन. ओ. सी.

तम दिनांक

प्रतिनिधि

1. महाप्रबन्धक, पिला जखंग कोन्द्र : गाजियाबाद
2. उपकर अधिकारी, रा. प्र. म. प्रमाण नियंत्रण बोर्ड जलनगर।
3. क्षेत्रीय नाभिकारी, रा. प्र. म. प्रमाण नियंत्रण बोर्ड : गाजियाबाद
4.

For Sale Property Realty Pvt. Ltd.
मुख्य पर्यवेक्षण अधिकारी
Authorized Signatory

416



Director
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Government of India
Regional Office (Central Region)
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Allganj
Lucknow- 226024

Date: 30.12.16

Sub: Submission of Six Monthly Compliance Report for the period April -2016 to September-2016 due in December-2016 of Conditions stipulated in Environmental Clearance letter of the construction of Residential Township "Saga City" at Village Shahpur, Bamheta, NH-24, Ghaziabad being developed by M/s Saamag Construction Limited.

Reference: Environmental Clearance Letter No. 21-319/2007-IA.III dated 26 December 2007.

Dear Sir,

With reference to the submission of Six Monthly Compliance Report of the Conditions/Safeguards obtained vide Environmental Clearance Letter No. 21-319/2007-IA.III dated 26 December 2007 for the construction of Residential Township "Saga City" at village Shahpur, Bamheta, NH-24, Ghaziabad being developed by M/s Saamag Construction Limited.

In this regard, we would like to inform you that part of our project has been completed and rest is under construction. As per the conditions laid down in the Environmental Clearance Letter, we are hereby submitting the Six-Monthly Compliance Report for the period April -2016 to September-2016 due in December-2016 along with all the requisite annexure and soft copy(CD) as per the guidelines of Ministry of Environment, Forest & Climate Change.

Thanking You,
Yours Faithfully,

For M/s Saamag Construction Limited

(Authorized Signatory)

Name: Umesh Kumar

Contact No.: 8527822778

Email-Id: umesh.sharma@sarcgroup.com

Copy to:

Secretary,

State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P.,

Directorate of Environment, U.P.,

Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar,

Vineet Khand-I, Gomti Nagar, Lucknow-226010.

Regd. Office :

B-67, Sarita Vihar,

New Delhi - 110076

Ph: +91-11-26952110

Fax : +91-11-26952114

SAAMAG HOUSE

B-72, Sector-57, NOIDA - 201 301, UP, INDIA

Ph: +91 120 471 1111, 435 6666

Fax: +91 120 471 1100/22

E-mail: info@saamag.com

website : www.saamag.com



For Saamag Realty Pvt. Ltd.

Authorized Signatory



Director
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Government of India
Regional Office (Central Region)
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Allganj
Lucknow- 226024

Date: 30.12.16

Sub: Submission of Six Monthly Compliance Report for the period April -2016 to September 2016 due in December-2016 of Conditions stipulated in Environmental Clearance letter of the construction of Residential Township "Saga City" at Village Shahpur, Bamheta, NH-24, Ghazlabad being developed by M/s Saamag Construction Limited.

Reference: Environmental Clearance Letter No. 21-319/2007-IA-III dated 26 December 2007.

Dear Sir,

With reference to the submission of Six Monthly Compliance Report of the Conditions/Safeguards obtained vide Environmental Clearance Letter No. 21-319/2007-IA-III dated 26 December 2007 for the construction of Residential Township "Saga City" at village Shahpur, Bamheta, NH-24, Ghazlabad being developed by M/s Saamag Construction Limited.

In this regard, we would like to inform you that part of our project has been completed and rest is under construction. As per the conditions laid down in the Environmental Clearance Letter, we are hereby submitting the Six Monthly Compliance Report for the period April -2016 to September 2016 due in December 2016 along with all the requisite annexure and soft copy(CD) as per the guidelines of Ministry of Environment, Forest & Climate Change.

Thanking You,
Yours Faithfully,

For M/s Saamag Construction Limited

(Authorized Signatory)

Name: Umesh Kumar

Contact No.: 8527822778

Email-Id: umesh.charma@saagroup.com

PLS MAIL
20-1-17

Copy to:

Secretary,

State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P.,

Directorate of Environment, U.P.

Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar,

Vineet Khand-I, Gomti Nagar, Lucknow-226010.

Regd. Office :

B-67, Sarita Vihar,

New Delhi - 110 076

Ph: +91-11-26952110

Fax: +91-11-26952114

SAAMAG HOUSE

B-72, Sector 57, NOIDA - 201 301, UP, INDIA

Ph: +91 120 471 1111, 435 6666

Fax: +91 120 471 1100/22

E-mail: info@saamag.com

website: www.saamag.com



For SAAMAG Construction Ltd.

Authorized Signatory